भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु. 5 Rs. 5

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

MADHYA PRADESH

एस/5209/99
02AA 648016

8-1368/08
26-5-08

रूप क्रमांक 2
(देखिये नियम 7)
मध्य प्रदेश शासन
सोनेक्साम

-: समिति का पंजीयन - प्रमाण - पत्र :-

क्रमांक भोपाल होशंगाबाद संभाग- 7407/99

यह प्रमाणित किया जाता है कि आयुष्मती एज्यूकेशन एन्ड सोशल सोसायटी समिति को आयुष्मान हास्पीटल बी-सेक्टर शाहपुरा भोपाल तहसील हुजूर जिला भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (सन 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 15.10.99 को पंजीयित की गई है।

दिनांक पंद्रह माह अक्टूबर सन 1999

5412-10

हस्ता/-

(एम एल सक्सेना)
समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार

सील (मुद्रा)

-: सत्यप्रतिलिपि:-

23/5/08
Asstt. Registrar
... Societies Bhopal

TRUE COPY ATTESTED

RAJEEV KUMAR MISHRA
ADVOCATE-NOTARY
SEHORE (M.P.)

NOTARY
RAJEEV MISHRA
ADVOCATE
SEHORE
M.P. GOVT.

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

AP 263394

CANCELLED

(Stamp: ASST. REGISTRAR OF FIRMS & SOCIETIES, BHOPAL, भोपाल)

प्रमाण पत्र ज्ञापन/ विधान की प्रतिलिपि
प्रति के साथ संलग्न स्टाम्प पेपर संस्था
का नाम ....
पंजी. क्र. ..... 284 ..... दिनांक .....

हस्ताक्षर के हस्ताक्षर

23.09.17
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं,
भोपाल गांधीपुरम भोपाल

(Stamp: NOTARY, RAJEEV MISHRA, ADVOCATE, SEHORE, MP-30/23/01/21, M.P. GOVT.)

TRUE COPY ATTESTED

RAJEEV KUMAR MISHRA
ADVOCATE NOTRY
SEHORE (M.P.)

18-8/17
23-8-17

फर्म रजि. क्र. ...7510...
रजिस्ट्रे. दिनांक ...17/12/1999...
संशोधन दिनांक ...18/8/17...

समिति की नियमावली (संशोधित नियमावली)

1. समिति का नाम – इस समिति का नाम आयुष्मति एजूकेशन एण्ड सोशल सोसायटी होगा ।
2. कार्यालय – इस समिति का प्रधान कार्यालय 202, गंगा जमुना काम्पलेक्स, जोन –1, एम.पी. नगर भोपाल तह. हुजूर जिला भोपाल (म.प्र.) ।
3. कार्यक्षेत्र – इस समिति का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा ।
4. उद्देश्य – इस समिति के निम्नलिखित उद्धेश्य होगें :–
   1. छात्र एवं छात्राओं को सांईस टेक्नॉलोजी के रिसर्च के शिक्षण व प्रशिक्षण हेतु आधुनिक एवं तकनीकि स्तर पर विद्यालय एवं महाविद्यालयों की स्थापना कर संचालन करना ।
   2. उपरोक्त शिक्षा के उद्धेश्यों की पूर्ति के लिए तकनीकि, इंजीनियरिंग, पोलीटेक्निक, मेडिकल, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, एम.बी.ए., एम.सी.ए., नर्सिंग, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, पत्र–पत्रकारिता शिक्षा, दंत चिकित्सा, पैरामेडीकल, ऐरोनेटिक, फैशन डिजायनिंग, कोर्स बी.एड, डी.एड., एम.एड, बी.पी.एड., एवं विधि स्नातक एवं अन्य सभी प्रकार की उच्च शिक्षा, तकनीकि शिक्षा, एवं चिकित्सा शिक्षा, संबंधी विषयों की शिक्षा एवं अनुसंधान हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालयों की स्थापना कर उनका संचालन एवं प्रबंधन करने के कार्य करना ।
   3. उपरोक्त उद्धेश्यों की पूर्ति हेतु संस्थाओं के संचालन हेतु समुचित व्यवस्था करना ।
5. सदस्यता :– इस समिति में निम्न श्रेणी के सदस्य होगें :–
   (अ) संरक्षक सदस्य :– संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रूपये 25,000/– रूपये या अधिक एक मुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा संरक्षक समिति का आजीवन सदस्य रहेगा ।
   (ब) आजीवन सदस्य :– जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रूपये 10,000/– रूपये या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा । कोई भी आजीवन सदस्य 15,000/– रूपये अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है ।

सहा. रजिस्ट्रार

TRUE COPY ATTESTED
RAJEEV KUMAR MISHRA
ADVOCATE NOTRY
SEHORE (M.P.)

फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 2407
रजिस्ट्रेशन दिनांक 13/11/99
संशोधन दिनांक 16/11/18

(स) साधारण सदस्य :– जो व्यक्ति रूपये 50/– रूपये प्रतिमाह 600/– रूपये प्रतिवर्ष संस्था को चंदे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा । साधारण सदस्य केवल इसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिये उसने चंदा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चंदा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी । ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है ।

(द) सम्मानीय सदस्य :– संस्था की प्रबंधकारणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है । ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते है । परन्तु उनको मत देने का अधिकार नही होगा ।

6. सदस्यता की प्राप्ति :– प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो समिति द्वारा निर्धारित फार्म पर लिखित रूप से आवेदन करना होगा । ऐसा आवेदन–पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसे कि उस आवेदन–पत्र को किसी कारण से स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार होगा ।

7. सदस्यों की योग्यताऐं :– समिति का सदस्य बनने के लिये व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :–

(अ) आयु 18 वर्ष से कम न हो ।

(ब) भारतीय नागरिक हो ।

(स) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो ।

(द) सदचरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो ।

8. सदस्यता की समाप्ति :– समिति की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :–

1. मृत्यु हो जाने पर,
2. पागल हो जाने पर,
3. समिति को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर
4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर,

NOTARY RAJEEV MISHRA ADVOCATE SEHORE M.P. GOVT.

TRUE COPY ATTESTED

RAJEEV KUMAR MISHRA
ADVOCATE, NOTRY
SEHORE (M.P.)

फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 7460
रजिस्ट्रेशन दिनांक 13/10/97
संशोधन दिनांक 01911

5. चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के नियम अनुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी ।

9. समिति के कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्योरे दर्ज किए जाएगें ।

(अ) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय ।

(ब) वह तारीख जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नम्बर ।

(स) वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो ।

(अ) साधारण सभा :– साधारण सभा में नियम 5 में दर्शायें श्रेणी के सदस्य समावेशित होगे साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी । परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगा । बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी । बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा । संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी। उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नही किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में पदाधिकारीयों का विधिवत चुनाव कराया जायेगा ।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा :– प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से 7 दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी । बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी यदि बैठक का कोरम पूर्ण नही होता है तो बैठक एक घंटे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिए कोरम की कोई शर्त न होगी ।

(स) विशेष सभा :– यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी । विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक का संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14

NOTARY
RAJEEV KUMAR MISHRA
ADVOCATE
SEHORE
M.P. GOVT (INDIA)

TRUE COPY ATTESTED
RAJEEV KUMAR MISHRA
ADVOCATE, NOTRY
SEHORE (M.P.)

फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 15/07/49
रजिस्ट्रेशन दिनांक 10/15/10/09
संशोधन दिनांक

दिन के भीतर भेजा जावेगा । पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा ।

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :-

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।

(ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना ।

(ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परिक्षकों की नियुक्ति करना ।

(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो ।

(ङ) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों की स्वीकृति करना

(च) बजट का अनुमोदन करना ।

12. प्रबंधकारिणी का गठन :- ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेगें, नियम 5 (अ,ब,स) में दर्शाये गए सदस्यों जिनके नाम पंजीयन रजिस्टर में दर्ज हो, बैठक के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा ।

1)	अध्यक्ष	–	1	2)	उपाध्यक्ष	–	1
3)	सचिव	–	1	4)	कोषाध्यक्ष	–	1
5)	संयुक्त सचिव	–	1	6)	सदस्य	–	2

13. प्रबंध समिति का कार्यकाल :- प्रबंध समिति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समिय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी किन्तु उक्त छः माह से अधिक नही होगी । जिसका अनुमोदन साधारण सभा में करना अनिवार्य होगा ।

14. प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :-

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय-व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।

NOTARY RAJEEV MISHRA ADVOCATE SEHORE M.P. GOVT

TRUE COPY ATTESTED

RAJEEV KUMAR MISHRA
ADVOCATE, NOTRY
SEHORE (M.P.)

फर्म रजिस्ट्रेशन नं. ......
रजिस्ट्रेशन दिनांक ......
संशोधन दिनांक ......

रजि. रजिस्ट्रार

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना । संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों, प्रशिक्षकों आदि की नियुक्ति करना ।

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय समय पर सौंपे जाए

(च) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी ।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना, विकय द्वारा अन्यथा अर्जित या अंतरित नही की जायेगी । किन्तु रामकृष्ण धर्मार्थ जनकल्याणकारी ट्रस्ट भोपाल से भी सहमति प्राप्त करना अनीवार्य होगी ।

(ज) विशेष बैठक में आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी । साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधन पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा ।

15. अध्यक्ष के अधिकार :– अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव (मंत्री) द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा । अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णात्मक होगा ।

16. उपाध्यक्ष के अधिकार :– अध्यक्षकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा । अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा ।

17. सचिव (मंत्री) के अधिकार :–

1. साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय – समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्रों तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना ।
2. समिति का आय – व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना ।

NOTARY
RAJEEV MISHRA
ADVOCATE
SEHORE
M.P. GOVT (INDIA)

TRUE COPY ATTESTED

RAJEEV KUMAR MISHRA
ADVOCATE, NOTARY
SEHORE (M.P.)

फर्म रजिस्ट्रेशन नं. [illegible]
रजिस्ट्रेशन दिनांक 17/10/99
संशोधन दिनांक 1/07/11

उप रजिस्ट्रार

3. समिति के अनुसार सार कागजातों को तैयार करना तथा करवाना । उनका निरिक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना । समस्त बैठकों की कार्यवाही को लिपिबद्ध करना

4. सचिव को एक समय में रूपये 500/- खर्च करने का अधिकार होगा ।

5. सचिव की अनुपस्थिति में उनके कार्य संयुक्तसचिव करेगा ।

18. कोषाध्यक्ष के अधिकार :- समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना ।

19. बैंक खाता :- संस्था की समस्त निधि किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा होगी ; धन का आहरण अध्यक्ष, मंत्री, या कोषाध्यक्ष में से कोई भी दो के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा । दैनिक खर्च हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 500/- रहेगें ।

20. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :- अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर निर्धारित प्रारुप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत संस्था की परिक्षित लेखा भेजी जावेगी ।

21. संशोधन :- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक के कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा । यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाओं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा ।

22. विघटन :- संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा । विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्धेश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।

23. सम्पत्ति :- संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी । संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नही की जा सकेगी ।

NOTARY
RAJEEV MISHRA
ADVOCATE
SEHORE
M.P. GOVT.

TRUE COPY ATTESTED
RAJEEV KUMAR MISHRA
ADVOCATE NOTRY
SEHORE (M.P.)

फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 407
रजिस्ट्रेशन दिनांक 7/10/95
संशोधन दिनांक 10/7/17

असि. रजिस्ट्रार

24. बैंक खाता :– संस्था की समस्त निधि किसी बैंक या पोस्ट आफिस में खोला जाऐगा एवं समय समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

25. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :– संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारीयों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा । साथ ही यह बैठक में विचारर्थ विषय निश्चित कर सकेगा ।

26. विवाद :– संस्था में किसी प्रकार विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा । यदि इस निश्चय या निर्णयों से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद को निर्णय के लिये भेज सकते है । रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा । संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समित के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा ।

अध्यक्ष | कोषाध्यक्ष | सचिव

शुल्क रुपये 286 चालान न./रसीद द्वारा
दिनांक 18-9-17 जमा है। यह मूल
दस्तावेजों की ...
जारी होने की दिनांक ...
सहायक के हस्ताक्षर
T. C.

23.09.17
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल नर्मदापुरम संभाग, भोपाल
23-9-2017

NOTARY
RAJEEV MISHRA
ADVOCATE
SEHORE
M.P. GOVT.

TRUE COPY ATTESTED
18/3/2021
RAJEEV KUMAR MISHRA
ADVOCATE, NOTARY
SEHORE (M.P.)

2149/20
11/2/21

प्ररुप सात

(नियम 11 देखिये)

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क. 44 सन 1973) की धारा 27 के अधिन शासी निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

1. सोसायटी का नाम और पूरा पता : आयुष्मति एजुकेशन एवं सोशल सोसायटी, 202, गंगा जमुना कॉम्पलेक्स, एम. पी. नगर, जोन–1, भोपाल
2. पंजीयन कमांक तथा तारीख : पंजीयन कमांक 7407 दिनांक 15.10.1999
3. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख 15/01/2021
4. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची : कार्यकाल तारीख 14.01.2020 से 13.01.2025 तक

अ.क.	नाम, पिता/पति का नाम	पता	धारित पद	मुख्य व्यवसाय	हस्ताक्षर
1.	श्रीमति जनक कपूर पति स्वर्गीय श्री आर. एन. कपूर	165–9ए, साकेत नगर भोपाल	अध्यक्ष	समाजसेवा	
2	श्री सिद्धार्थ कपूर पिता श्री डॉ. सुनील कपूर	ई–3/4 अरेरा कालोनी भोपाल	उपाध्यक्ष	समाजसेवा	
3.	डॉ. साधना कपूर पति डॉ. सुनील कपूर	ई–3/4 अरेरा कालोनी भोपाल	सचिव	चिकित्सक	
4.	श्रीमति रूचि कपूर पति श्री सिद्धार्थ कपूर	202, गंगा जमुना काम्पलेक्स, जोन–1, भोपाल	सह सचिव 14/03/2020	समाजसेवा	
5.	श्री विमल नाथ पिता श्री स्व. पी.बी. नाथ	165, पटेल नगर मंडीदीप, भोपाल	कोषाअध्यक्ष	समाजसेवा	
6.	डॉ. सुनील कपूर पिता स्वर्गीय श्री आर. एन. कपूर	ई–3/4 अरेरा कालोनी भोपाल	सदस्य	चिकित्सक	
7.	श्रुती कुमारी पिता श्री डॉ. सुनील कपूर	ई–3/10 नुपूरकुंज अरेरा कालोनी भोपाल	सदस्य	चिकित्सक	

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि

5. मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क. 44 सन 1973) की धारा 27 के अधिन 1040/– रू. की वार्षिक फीस, चालान कमांक 1147533755 दिनांक 18/01/2021 के द्वारा जमा कर दी गई है, उसकी मूल प्रति संलग्न है ।

NOTARY RAJEEV MISHRA ADVOCATE SEHORE

TRUE COPY ATTESTED
11/2/2021
RAJEEV KUMAR MISHRA
ADVOCATE NOTRY
SEHORE (M.P.)

11.02.21
(एम.ले. कुरैशी)
असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
नर्मदापुरम संभाग भोपाल (म.प्र.)

घोषणा

मैं श्रीमती जनक कपूर पत्नि स्वर्गीय श्री आर. एन. कपूर आयु लगभग 85 वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसायटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है । सोसाइटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में है । मैं यह जानता/जानती हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधिन दण्ड का दायी हो रहूँगा/रहुंगी ।

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973
की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि

अध्यक्ष/सचिव
जनककपूर
(श्रीमती जनक कपूर)

11.02.21
(एम.जे.कुरेशी)
अधि.रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
भोपाल नर्मदापुरम संभाग भोपाल (म.प्र.)

NOTARY (INDIA) M.P. GOVT.
RAJEEV MISHRA
ADVOCATE
SEHORE

TRUE COPY ATTESTED
RAJEEV KUMAR MISHRA
ADVOCATE, NOTRY
SEHORE (M.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BG 458768

BHOPAL

संस्था [illegible] सोसायटी, भोपाल पंजीयन क्रमांक 2407 दिनांक 15/10/96 के नाम से दिनांक 19/01/21 को प्रस्तुत मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 27 की जानकारी की प्रतिलिपि हेतु धारा 29 के तहत दिनांक 19/01/21 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। धारा 27 के तहत प्रस्तुत शासी निकाय की सूची की वैधानिकता के संबंध में प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी स्वंय उत्तरदायी है। कार्यालय द्वारा धारा 29 के तहत केवल प्रतिलिपि मात्र जारी की गई है। धारा 29 के तहत जारी प्रतिलिपि पदाधिकारियों की वैधानिकता के संबंध में प्रमाण–पत्र आदेश नहीं है।

11.02.21

अति. रजिस्ट्रार

फर्म्स एवं संस्थाएँ

NOTARY

RAJEEV MISHRA

ADVOCATE

SEHORE

TRUE COPY ATTESTED

RAJEEV KUMAR MISHRA

ADVOCATE-NOTRY

SEHORE (M.P.)